

न्यायालय-दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
तहसील बैहर, जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्र.क्रमांक-135/2016
 संस्थित दिनांक-17.02.2016

म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बैहर,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोजन

// विरुद्ध //

तरुण उर्फ छोटू पिता चैनीदास मुरचुले पनिका,
 उम्र-23 वर्ष, निवासी-वार्ड नं-14 सियारपाठ, बैहर
 थाना बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक-16/02/2018 को घोषित)

1- अभियुक्त पर आयुध अधिनियम की धारा-25 का आरोप है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक-02/02/2016 को समय 19:50 बजे, वार्ड नम्बर-14 सियारपाठ रोड जैन भवन के बाजू में बैहर अपने आधिपत्य में बिना वैध अनुज्ञप्ति के एक धारदार चाकु को अपने कब्जे में आयुध अधिनियम की धारा-4 के अधीन जारी म.प्र. राज्य की अधिसूचना क्रमांक-6312-6552-11-बी दिनांक 22.11.1974 के उल्लंघन में निषेधित आकार प्रकार का रखा।

2- अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि जब दिनांक-02/02/2016 को दुर्गाप्रसाद भगत पुलिस थाना बैहर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ थे। तब वह उक्त दिनांक को 18:45 बजे बस स्टेण्ड व बंदोबस्त ड्यूटी के लिए हमराह आरक्षक क-929 के साथ रवाना हुए थे, तब उन्हें मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि कस्बा बैहर सियारपाठ वार्ड नं.14 जैन भवन के बाजू वाली गली में तरुण उर्फ छोटू मुरचुले अपने हाथ में लोहे का चाकु दिखाकर मोहल्ले के लोगों को तथा आने-जाने वालों को भयभीत कर रहा था, मारने-मरने की बात कर रहा था, जिससे लोगों में भय व्याप्त था। उक्त सूचना पर से हमराह आरक्षक क-929 तथा स्वतंत्र गवाह रेखाबाई बघेल, शैलेश के साथ मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुंचे थे जहां पर अभियुक्त अपने दाये हाथ में एक लोहे का चाकु रखे मिला था। अभियुक्त मोहल्ले वालों को तथा आने-जाने वाले

लोगों को डरा-धमका रहा था और मरने-मारने की बातें कर भयभीत कर रहा था। जिसे समझाया गया था तो अभियुक्त अति उत्तेजित होकर जोर-जोर से चिल्लाकर लोहे का चाकू दिखाकर अपने बांये हाथ को काटकर भयभीत करने लगा था। अभियुक्त से लोहे का चाकू रखने का लायसेंस मांगा था तो अभियुक्त ने उसके पास लायसेंस नहीं होना बताया था, तब गवाहों के समक्ष अभियुक्त से एक लोहे का चाकू जप्त किया था एवं अभियुक्त को गिरफ्तार कर पुलिस थाना बैहर में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक-31/2016 का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोगपत्र प्रस्तुत किया।

3- अभियुक्त पर निर्णय के पैरा-1 में उल्लेखित धारा का आरोप विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया था, तो अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।

4- अभियुक्त का धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्त का कहना है कि वह निर्दोष है, उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया था।

5- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित हैं:-

1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक-02/02/2016 को समय 19:50 बजे, वार्ड नम्बर-14 सियारपाठ रोड जैन भवन के बाजू में बैहर अपने आधिपत्य में बिना वैध अनुज्ञप्ति के एक धारदार चाकू को अपने कब्जे में आयुध अधिनियम की धारा-4 के अधीन जारी म.प्र. राज्य की अधिसूचना क्रमांक-6312-6552-11-बी दिनांक 22.11.1974 के उल्लंघन में निषेधित आकार प्रकार का रखा ?

विवेचना एवं निष्कर्ष :-

6- दुर्गाप्रसाद भगत जप्तीकर्ता अधिकारी अ.सा.4 का कथन है कि घटना के समय उनकी ड्यूटी बस स्टेण्ड बैहर में लगी थी। तब रोजनामचा सान्हा प्रविष्टि क्रमांक-46 के द्वारा उन्हें सूचना मिली थी कि कस्बा बैहर सियारपाठ वार्ड नम्बर-14 में जैन भवन के बाजू वाली गली में अभियुक्त तरुण उर्फ छोटू हाथ में चाकू लेकर मोहल्ले वालों को डरा धमका रहा था। तब साक्षी उसके साथ एक आरक्षक को लेकर वहां गया था। साक्षी ने अभियुक्त को समझाने का प्रयास किया था।

अभियुक्त ने चाकु से अपने हाथ में काट लिया था एवं मारपीट करने लगा था। अभियुक्त आने-जाने वाले लोगों को भयभीत कर रहा था। तब साक्षी अभियुक्त को पकड़कर थाने लाया था। थाने पर आकर साक्षी ने अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक-225/16 की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.06 लेखबद्ध की थी, जिसके ए से ए एवं बी से बी भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने अभियुक्त से घटनास्थल पर गवाहों के समक्ष प्र.पी.02 के जप्ती पंचनामा द्वारा चाकू जप्त किया था। अभियुक्त को प्र.पी.03 के गिरफ्तारी पंचनामा द्वारा गिरफ्तार किया था। साक्षी ने अभियुक्त के पास मिले चाकू का नाप पंचनामा बनाया था। अभियुक्त के पास मिले चाकू की लंबाई मूठ सहित 17.6 इंच, फल की लम्बाई 14 इंच, चौड़ाई 2 इंच, मूठ की लम्बाई 4.4 इंच, मूठ की गोलाई 4.9 इंच थी। चाकू का नाप पंचनामा प्र.पी.04 है जिसके सी से सी भाग पर साक्षी के एवं डी से डी भाग पर अभियुक्त के हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने अभियुक्त को लाईसेंस के संबंध में प्र. पी.07 का नोटिस दिया था। रेखाबाई की निशांदाही पर साक्षी ने मौकानक्शा प्र.पी. 01 बनाया था। साक्षी ने अभियुक्त का मेडिकल परीक्षण करने के लिए अभियुक्त को मेडिकल आफीसर बैहर के पास भेजा था जिसका मेडिकल फार्म प्र.पी.02ए है। जप्तीकर्ता अधिकारी ने साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। अभियुक्त से घटनास्थल से जप्तशुदा चाकु आर्टिकल ए-1 है।

7- जप्ती के स्वतंत्र साक्षी रेखाबाई अ.सा.01, शैलेश अ.सा.03 ने उनके सामने घटना घटित होने के तथ्य से इंकार किया है। उनका कहना है कि प्र.पी.01 के मौकानक्शा, प्र.पी.02 के जप्ती पंचनामा, प्र.पी.03 के गिरफ्तारी पंचनामा पर उनके हस्ताक्षर हैं। लेकिन उक्त कार्यवाही उनके सामने नहीं हुई थी। उक्त साक्षीगण को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर साक्षीगण से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षीगण की साक्ष्य में ऐसे कोई तथ्य नहीं आये हैं जिससे प्रकरण की घटना का समर्थन होता हो। शैलेश अ.सा.03 का सामना उसके पुलिस कथन प्र. पी.06 कराये जाने पर भी उसके सम्पूर्ण कथनों में ऐसे कोई तथ्य अभिलेख पर प्रकट नहीं हुए हैं जिससे अभियोजन पक्ष के प्रकरण की घटना का समर्थन होता हो। इस प्रकार स्वतंत्र साक्षीगण रेखाबाई अ.सा.01, शैलेश अ.सा.03 ने अभियुक्त से जप्ती की कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है।

8- चिकित्सक एन.एस.कुमरे अ.सा.02 का कथन है कि उनके पास दिनांक 09.02.2016 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में थाना बैहर से आरक्षक जयसिंह क्रमांक-1227 आहत तरुण उर्फ छोटू को मेडिकल परीक्षण के लिए लेकर आया

था। तब चिकित्सक साक्षी ने आहत/अभियुक्त का मेडिकल परीक्षण किया था। आहत की मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.02ए है जिसके ए से ए भाग पर चिकित्सक के हस्ताक्षर हैं।

9— प्रकरण में अभिलेख पर मात्र दुर्गाप्रसाद भगत अ.सा.04 के कथन शेष रह जाते हैं। जप्तीकर्ता अधिकारी ने अभियुक्त से प्र.पी.02 के जप्ती पंचनामा द्वारा चाकू जप्त करना बताया है। जप्तीकर्ता अधिकारी ने उनकी साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि अभियुक्त को उन्होंने किस स्थान से गिरफ्तार किया था। जप्तीकर्ता अधिकारी की साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं होता है कि उन्होंने अभियुक्त को घटनास्थल से गिरफ्तार किया था या किसी अन्य स्थान से गिरफ्तार किया था। जप्तीकर्ता अधिकारी के कथन स्वतंत्र साक्षीगण की साक्ष्य से समर्थित नहीं है। ऐसी स्थिति में उनका यह कथन कि उन्होंने अभियुक्त से एक चाकू जप्त किया था स्वाभाविक एवं विश्वास योग्य नहीं पाया जाता है।

10— जप्तीकर्ता अधिकारी ने अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक-225/2016 का प्रकरण पंजीबद्ध करना बताया है। जबकि प्रश्नाधीन प्रकरण का अपराध क्रमांक-31/2016 है। जप्तीकर्ता अधिकारी की साक्ष्य में एवं प्रश्नाधीन प्रकरण के अपराध क्रमांक में विरोधाभास है। जप्तीकर्ता अधिकारी की साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि उन्होंने अपराध क्रमांक-31/2016 की प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्त के विरुद्ध लेखबद्ध की थी। जप्तीकर्ता अधिकारी ने उनकी साक्ष्य में यह भी नहीं बताया है कि अभियुक्त कौन से हाथ में चाकू लिये हुए था। जप्तीकर्ता अधिकारी ने चाकू रखना निषेधित होने से संबंधित मध्यप्रदेश राज्य सरकार का अधिसूचित गजट प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में जप्तीकर्ता अधिकारी की साक्ष्य से अभियोजन पक्ष की घटना का समर्थन होना माना जाना उचित नहीं है। जप्तीकर्ता अधिकारी ने प्र.पी.06 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त से जप्तशुदा चाकू की लम्बाई-चौड़ाई का उल्लेख नहीं किया है। प्र.पी. 02 के जप्ती पंचनामा में नमूना सील का उल्लेख नहीं है। जप्तीकर्ता अधिकारी ने घटनास्थल पर रवानगी एवं वापसी से संबंधित रोजनामचा सान्हा प्रस्तुत कर प्रदर्श नहीं कराया है। स्वतंत्र साक्षीगण ने अभियुक्त से चाकू जप्ती के संबंध में जप्तीकर्ता अधिकारी के कथनों का समर्थन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में यह तथ्य संदिग्ध हो जाता है कि जप्तीकर्ता अधिकारी घटनास्थल पर गये भी थे या नहीं। उक्त सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए साक्ष्य की उपरोक्तानुसार की गई विवेचना एवं निकाले गए निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त के

विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे आयुध अधिनियम की धारा-25 का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को आयुध अधिनियम की धारा-25 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

11- प्रकरण में अभियुक्त का धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

12- अभियुक्त के जमानत-मुचलके भारमुक्त किये जावें।

13- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक लोहे का चाकू मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट किया जावे, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(दिलीप सिंह)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी,तहसील बैहर,
जिला-बालाघाट म.प्र.

(दिलीप सिंह)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी,तहसील बैहर,
जिला-बालाघाट म.प्र.

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)